आगरा विकास आविप्रा प्राधिकरण, आगरा

पत्रांक 282/D/भवन/2020 दिनांक 29/08/20

पूर्णता प्रमाण-पत्र

ताजगंज वार्ड में स्थित खसरा सं0–162, 161पी, 162, मौजा–चमरौली आगरा पर ब्लाक–ए एवं ब्लाक–बी पर निर्मित ग्रुप हाउसिंग (एमरल्ड हाईट्स) के सम्बन्ध में प्रस्तुत पूर्णता प्रमाण पत्र आवेदन के भाग अ, ब, एवं स का परीक्षण अवर अभियन्ता / नगर नियोजक/अधिशासी अभियन्ता (भवन) / मुख्य नगर नियोजक द्वारा कर लिया गया है एवं निर्माण कार्य प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत शमन मानचित्र सं0–एनएफटी/वीसी/70/14–15 दिनांक 27.05.2016 के अनुरूप सही पाया गया है। अतः उपाध्यक्ष महोदय के आदेश दिनांक 28.08.20 के क्रम में उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम–1973 की धारा–15क(2) के अनुसार पूर्णता प्रमाण–पत्र निम्न शर्तो के अधीन जारी किया जाता है–

1. आवेदक द्वारा स्वीकृत शमन मानचित्र से अतिरिक्त निर्माण कार्य नहीं किया जायेगा।
2. अग्निशमन विभाग द्वारा जारी अग्नि एवं जीवन सुरक्षा प्रमाण पत्र में अंकित समस्त निर्देशों का पालन करना होगा।
3. स्वीकृत शमन मानचित्र में लगायी सभी शर्तो का पालन करना होगा।
4. स्थल पर निर्मित भवन के सामने स्वीकृत/टाइप डिजायन में दर्शित पार्किंग/लैण्ड स्कैप हेतु आरक्षित जगह को यथावत् रखा जायेगा, उस पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण नहीं किया जायेगा।
5. उ0प्र0 अपार्टमेन्ट अधिनियम–2010 यथासंशोधित–2016 की धारा–14 के अन्तर्गत प्रमोटर्स और अपार्टमेन्ट स्वामियों का संघ/रेजीडेन्ट वेलफेयर एसोसिएशन का गठन कर पंजीकृत कराना होगा।
6. उ0प्र0 अपार्टमेन्ट अधिनियम–2010 यथासंशोधित–2016 की धारा–14 के अन्तर्गत कार्यवाही पूर्ण होने तक अपार्टमेन्ट का रख–रखाव भू–स्वामी द्वारा किया जायेगा।
7. उ0प्र0 प्रदूषण नियत्रंण बोर्ड द्वारा निर्गत पत्र में अंकित समस्त शर्तो का अनुपालन करना होगा।
8. उपरोक्त शर्तों का अनुपालन न किये जाने की दशा में निर्गत पूर्णता प्रमाण पत्र निरस्त माना जायेगा।

29/08/20

मुख्य नगर नियोजक

(प्रपत्र–ब)

प्रपत्र–"ब"

ग्रुप हाउसिंग, व्यवसायिक एवं बहुखण्डी भवन के पूर्णता प्रमाण–पत्र हेतु आवेदन पत्र

(उपविधि संख्या–3.1.8)

आगरा विकास प्राधिकरण

भाग–अ

1. (i) आवेदक का नाम — MAYA PAIL SHELTER'S PVT. LTD.
   (ii) वर्तमान पता — MAUZA CHAMROLI, AGRA.
2. भूखण्ड संख्या तथा योजना का नाम / मोहल्ला / वार्ड — KHASRA NO. 160, 161P, 162. MAUZA CHAMROLI AGRA.
3. भूखण्ड का क्षेत्रफल (वर्गमीटर में) — 12919.94 SQ.M.
4. भवन का अनुमन्य उपयोग — RESIDENTIAL
5. (i) भवन मानचित्र स्वीकृति की तिथि — 31.3.2012
   (ii) परमिट संख्या — ____________
   (iii) यदि स्वतः अनुमोदित है तो प्राविधान का विवरण : यदि भवन मानचित्र जमा करने की तिथि से निर्धारित अवधि में भवन मानचित्र अस्वीकृति की सूचना न दी गई हो – मानचित्र जमा करने की तिथि, रसीद संख्या एवं रसीद की प्रमाणित प्रति संलग्न करें : ____________
6. (i) यदि अनधिकृत निर्माण का शमन कराया गया हो तो शमन मानचित्र की प्रति संलग्न करें — NFI/VC/70/2014-15.
   (ii) शमन शुल्क भुगतान की तिथि, रसीद संख्या एवं रसीद की प्रमाणित प्रति संलग्न करें — 28/5/2016
7. निर्माण की स्थिति :

क्रमांक	प्राविधान	अनुमन्य	निर्मित	स्वीकृत / शमन किया गया विचलन
1	2	3	4	5

7.1 भू–आच्छादन (प्रतिशत) 29.10%

7.2 एफ.ए.आर. 2.61%

7.3 सैट बैक (दूरी मीटर में)

(क) सामने 12.0 M.

(ख) पीछे 12.0 M.

(ग) दाएं 12.0 M.

(घ) बाएं 12.0 M.

V. [signature]

परिशिष्ट–8

(प्रपत्र–ब)

क्रमांक	प्राविधान	अनुमन्य	निर्मित	स्वीकृत/शमन किया गया विचलन
1	2	3	4	5

7.4 (अ) बेसमेन्ट क्षेत्रफल व.मी. में) 4976.58 SQ.M.

7.4 (ब) बेसमेन्ट का उपयोग CAR PARKING

7.5 स्टिल्ट फ्लोर

(अ) क्षेत्रफल – 2998.26 SQ.M.

(ब) उपयोग PARKING.

7.6 पार्किंग ((क्षेत्रफल व.मी. में)

7.7 भवन की ऊँचाई (मीटर में) (S+9 = 31.50M) AND. (S+10 = 34.55 M)

7.8 मंजिलों की संख्या S+9 & S+10

8. अग्निशमन से सम्बन्धित कार्य

(मुख्य अग्निशमन अधिकारी से फायर फाइटिंग सिस्टम की पूर्णता का प्रमाण–पत्र संलग्न करें)

9. सुविधाओं को मानचित्र पर दर्शाया जाए :

(क) जल–आपूर्ति

(ख) मलोत्सारण

(ग) जल निकास

(घ) सोलर वाटर संयन्त्र

(ड) विद्युत आपूर्ति

(च) लिफ्ट

(चीफ इलैक्ट्रिकल इन्सपेक्टर, उ.प्र. से लिफ्ट के पूर्णता का प्रमाण–पत्र संलग्न करें)

10. गारवेज शूट (है/नहीं)

11. एविऐशन क्षेत्र में स्थित होने की दशा में

एविऐशन लाइट्स लगी हैं/नहीं लगी हैं

12. रेनवाटर हार्वेस्टिंग प्रणाली (पंजीकृत अनुज्ञापित तकनीकी व्यक्ति का प्रमाण–पत्र संलग्न करें) (है/नहीं)

13. भवन में आन्तरिक परिवर्तन :

(क) उपविधियों के अन्तर्गत है/नहीं है

(ख) यदि उपविधियों के विपरीत है तो उसका शमन हो चुका है। हाँ/नहीं

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त विवरण मेरी/हमारी व्यक्तिगत जानकारी के अनुसार सत्य है। लागू भवन उपविधियों के अन्तर्गत ऐसा अनधिकृत निर्माण नहीं है जो शमन न कराया गया हो। अतः उक्त भूखण्ड पर किए गए निर्माण हेतु पूर्णता प्रमाण–पत्र निर्गत किया जाए।

संलग्नक अभिलेख :

V. [signature]

आवेदन हेतु अधिकृत आवेदक के हस्ताक्षर
(अधिकृत होने के प्रमाण–पत्र सहित)

1.

2.

3.

दिनांक ....

टिप्पणी :– 1. उक्त सूचना केवल आवेदन के लिएं अधिकृत व्यक्ति के द्वारा दी जाएगी। अधिकृत होने का प्रमाण पत्र संलग्न किया जाएगा।

2. भवन काम्पलेक्स में प्रत्येक ब्लाक के लिए अलग–अलग आवेदन–पत्र प्रस्तुत करने होंगे।

परिशिष्ट–6

(प्रपत्र–'ब')

भाग–ब

पंजीकृत वास्तुविद्/अभियंता का प्रमाण पत्र
(ग्रुप हाऊसिंग/व्यवसायिक एवं बहुखण्डी भवन हेतु)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती MAYAPATI SHELTER'S PVT. LTD. (आवेदक का नाम) के भूखण्ड संख्या......... का खसरा संख्या 160, 161P, 162 पर स्थित भवन संख्या .... निर्माण/पुनर्निर्माण/परिवर्तन/परिवर्धन कार्य मेरे पर्यवेक्षण में किया गया। उपरोक्त दी गई समस्त सूचनाएं सही हैं। इस संदर्भ में मेरी आख्या निम्नवत् हैं :–

निर्मित भवन, लागू उपविधियों एवं स्वीकृत मानचित्र/स्वीकृत शमन मानचित्र के अनुसार है।

अथवा

निर्मित भवन में स्वीकृत मानचित्र अथवा स्वीकृत शमन मानचित्र से जो विचलन है वह क्रमांक –7 पर अंकित कर दिया गया है।

भवन जिस प्रयोजन हेतु निर्मित/पुनर्निर्मित/परिवर्तित किया गया है उस हेतु उपयुक्त है। इसकी गुणवत्ता उच्च श्रेणी की है एवं स्ट्रक्चर के आधार पर सुरक्षित है। भवन निवास हेतु पूर्णतया उपयुक्त एवं सुरक्षित है।

अतः पूर्णता–प्रमाण पत्र निर्गत करने की संस्तुति की जाती है।

BANPHOOL RAGHUVANSHI
Architect
CA/93/16179

हस्ताक्षरः पंजीकृत वास्तुविद्/अभियंता ....

नाम/पता BANPHOOL RAGHUVANSHI

काउन्सिल आफ आर्कीटेक्चर का

पंजीकरण/लाइसेन्स संख्या CA/93/16179

दिनांक .... लाइसेन्स वैधता की अवधि ....

भाग–स

रेनवाटर हार्वेस्टिंग के सम्बन्ध में पंजीकृत अनुज्ञापित व्यक्ति का प्रमाण पत्र
(ग्रुप हाऊसिंग/व्यवसायिक एवं बहुखण्डी भवन हेतु)

निर्मित भवन में रेनवाटर हार्वेस्टिंग (रूफ टाफ रेनवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम) का प्राविधान विकास प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत भवन मानचित्र/लागू उपविधियों के अनुरूप किया गया है।

BANPHOOL RAGHUVANSI
Architect
CA/93/16179

हस्ताक्षर :

पंजीकृत अनुज्ञापित व्यक्ति

नाम/पता BANPHOOL RAGHUVANSHI.

लाइसेन्स संख्या CA/93/16179.

दिनांक ....

आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा

पत्रांक 686/D/अनु/19 दिनांक 7/2/19

पूर्णता प्रमाण-पत्र

ताजगंज वार्ड में स्थित खसरा सं0–160, 161पी, 162, मौजा–चमरौली, आगरा पर ब्लाक–सी पर निर्मित ग्रुप हाउसिंग (एमरल्ड हाईट्स) के सम्बन्ध में प्रस्तुत पूर्णता प्रमाण पत्र आवेदन के भाग अ, ब एवं स का परीक्षण नगर नियोजक/अधिशासी अभियन्ता (भवन) /अवर अभियन्ता द्वारा कर लिया गया है। निर्माण कार्य प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत शमन मानचित्र सं0–एनएफटी/वीसी/70/14–15 दिनांक 28.05.2016 के अनुरूप सही पाया गया है। अतः उपाध्यक्ष महोदया के आदेश दिनांक 04.02.19 के क्रम में उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम–1973 की धारा–15क(2) के अनुसार पूर्णता प्रमाण–पत्र निम्न शर्तों के अधीन जारी किया जाता है–

1. विकासकर्ता द्वारा स्वीकृत शमन मानचित्र से अतिरिक्त निर्माण कार्य नहीं किया जायेगा।
2. अग्निशमन विभाग द्वारा जारी अग्नि एवं जीवन सुरक्षा प्रमाण पत्र में अंकित समस्त निर्देशों का पालन करना होगा।
3. स्वीकृत शमन मानचित्र में लगायी सभी शर्तों का पालन करना होगा।
4. उ0प्र0 अपार्टमेन्ट अधिनियम–2010 यथासंशोधित–2016 की धारा–14 के अन्तर्गत प्रमोटर्स और अपार्टमेन्ट स्वामियों का संघ/रेजीडेन्ट वेलफेयर एसोसिएशन का गठन कर पंजीकृत कराना होगा।
5. उ0प्र0 अपार्टमेन्ट अधिनियम–2010 यथासंशोधित–2016 की धारा–14 के अन्तर्गत कार्यवाही पूर्ण होने तक अपार्टमेन्ट का रख–रखाव भू–स्वामी द्वारा किया जायेगा।
6. उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्गत पत्र में अंकित समस्त शर्तों का अनुपालन करना होगा।

7/2/19

मुख्य नगर नियोजक

C.T.P. ADA